



2026:AHC-LKO:5285

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
जनहित याचिका संख्या – 30/2026

अंजनि कुमार

...याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, राजस्व, लखनऊ एवं 5 अन्य

... प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता: – सौरभ सिंह, अनुराग श्रीवास्तव

विपक्षी (गण) के अधिवक्ता :- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, आदित्य तिवारी, पंकज गुप्ता

न्यायालय संख्या – 17

माननीय न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी

- याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री सौरभ सिंह, राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री राम कुमार मौर्य, ग्राम सभा के विद्वान अधिवक्ता श्री पंकज गुप्ता के वाद धारक अधिवक्ता श्री मोहम्मद तालिब खान और श्री आदित्य तिवारी को सुना, जिन्होंने विपक्षी संख्या 6 की ओर से वकालतनामा दाखिल किया जिसे अभिलेख में ग्रहण किया गया है।
- जनहित में दायर इस रिट याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने विपक्षी संख्या 6 द्वारा ग्राम- उमरार, तहसील- लालगंज, जिला- प्रतापगढ़ में स्थित, चरागाह के रूप में दर्ज, भूमि गाटा संख्या 1705, क्षेत्रफल- 2.023 हेक्टेयर पर किए गए अतिक्रमण को हटाने का निर्देश जारी करने की मांग की है।
- प्रतापगढ़ जिले के लालगंज के तहसीलदार द्वारा दिए गए लिखित निर्देशों के आधार पर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने न्यायालय को सूचित किया है कि प्रतापगढ़ जिले के लालगंज के तहसीलदार (न्यायिक) ने दिनांक 04.07.2024 को विपक्षी संख्या 6 द्वारा सार्वजनिक मार्ग के एक भाग पर पक्का मकान बनाकर किए गए अतिक्रमण को हटाने का आदेश पारित किया था। विपक्षी संख्या 6 को दिनांक 16.01.2026 को नोटिस जारी किए जाने के बाद, उसने दिनांक 19.01.2026 को आदेश दिनांक 04.07.2024 को अपास्त करने के लिए आवेदन दायर

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



किया।

4. तदनुसार, इस याचिका का निस्तारण यह निर्देश जारी करते हुए किया जाता है कि विपक्षी संख्या 6 द्वारा आदेश दिनांक 04.07.2024 को अपास्त करने के लिए दिनांक 19.01.2026 को दायर आवेदन पर विधि के अनुसार तत्परतापूर्वक निर्णय लिया जाए और उसके बाद उपर्युक्त सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण हटाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए।

22 जनवरी, 2026

रेणु

(न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी)